बिहार राज्य और अन्य

बनाम

राजेंन्द्र सिंह और अन्य

24 अगस्त 2004

{ अरिजीत पसायत और डी.एम. धर्माधिकारी, जे.जे. }

न्यायालय की अवमाननाः-

अवमानना के लिए आवेदन- अवमानना क्षेत्राधिकार-शिक का प्रयोगआयोजितः ऐसे आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को इस बात की
चिन्ता रहती है कि क्या पहले जो निर्णय अन्तिम रूप ले चुका है उसका
अनुपालन किया गया है या नही- यह आदेश से परे नही जा सकते- इसकी
जांच करना अस्वीकार्य है, कि आदेश सही है या गलत। या अतिरिक्त निर्देश
देना या कोई भी निर्देश हटाना जो समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग माना
जाता- यदि पक्ष आदेश से व्यथित है तो वह उस न्यायालय का दरवाजा
खटखटा सकता है जिसने आदेश पारित किया था या अपीलिय क्षेत्राधिकार
न्यायालय में अपील कर सकता है।

उच्च अदालत द्वारा निर्देश के अनुपालन में एक आदेश पारित किया गया। इसका अनुपालन नहीं किया गया। अपीलकर्ता राज्य के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रतिवादी ने एक आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने माना कि न्यायालय आदेश का उल्लघंन हुआ है तथा आदेश पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया। इसलिए वर्तमान अपील प्रकट हुई।

अपीलकर्ता राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेशों का कोई उल्लघंन नही हुआ तथा इस प्रकार दर्ज निष्कर्ष और इसके लिए पुर्निवचार के निर्देश कानूनन पोषणीय नही है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि कोर्ट के आदेश का उल्लघंन हुआ है लेकिन पुर्निवचार के लिए निर्देश नही देना चाहिए था बिल्क अवमाननाकर्ता को दिण्डित करना चाहिए था।

अपील न्यायालय द्वारा अपील को आन्शिक रूप से स्वीकार करते हुए।

आयोजितः

1.1 अवमानना के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय कोर्ट वास्तव मे इस सवाल से चिन्तित रहता है कि जिस निर्णय को अन्तिम रूप मिल गया है उसका अनुपालन किया गया था या नहीं।

न्यायालय उस आदेश से परे नहीं बढ सकता जिसका अनुपालन न करने पर आरोप लगाया गया है। अवमानना कार्यवाही में आदेश के सही या गलत होने का आग्रह नहीं किया जा सकता। यह इसकी शुद्धता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता या अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता या किसी भी निर्देश का हटा नहीं सकता। वह अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। वहीं अस्वीकार्य होगा व बचाव योग्य नहीं होगा। {739-A-B}

- 1.2 किसी दिये गये मामले मे भले ही अन्ततः अन्तरिम आदेश रह कर दिया गया हो या किसी पक्ष को मुख्य कार्यवाही मे राहत नही दी गई हो, दूसरा पक्ष इसे न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अन्तरिम आदेश कि अवज्ञा के आधार के रूप मे नही ले सकता है। सही हो या गलत, आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। न्यायालय के आदेश का उल्लघंन करने पर पक्ष अवमानना के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कोई सम्बन्धित पक्ष उस आदेश से व्यथित है जो उसकी राय में गलत या नियमों के विरूद्ध है या उसका कार्यन्वयन ना तो व्यवहारिक है और ना ही व्यवहार्य है तो उसे हमेशा या तो उस न्यायालय मे सम्पर्क करना चाहिए जिसने आदेश पारित किया है या अपीलिय न्यायलय के अधिकारक्षेत्र का सहारा लेना होगा। {739-C, 738 H; 739-A; 738-G-H}
- 1.3 मौजूदा मामले में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि अदालत के आदेश का उल्लघंन हुआ है अदालत को अपना ध्यान इस मुद्दे पर केन्द्रित करना चाहिए था कि इसके परिणामस्वरूप आगे क्या किया गया।

इसके बजाय यह अपने द्वारा व्यक्त विचारों की पंक्ति में पुनर्विचारों के लिए आगे निर्देश देने लगा जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कुछ मामलों मे न्यायालय अवमाननाकर्ताओं को अवमानना का शुद्धिकरण करने का अवसर दे सकता है। यह उस तरह का मामला नहीं है। वास्तव में एकल न्यायाधीश ने योग्यता के आधार पर माना है कि बोर्ड का निर्णय उचित था और इस प्रकार पुनर्विचार का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को नये सिरे से विचार के लिए भेज दिया जाता है। {739-C-E}

के.जी. डेरासारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य {2001} 10 एससीसी 496, टी. आर. धनन्जय बनाम जे. वासुदेवन {1995} 5 एससीसी 619 और मोहम्मद इकबाल खाण्डव बनाम अब्दुल माजिद राघव ए आई आर {1994} एससी 2252 का उल्लेख किया गया है।

नियाज मोहम्मद व अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, {1994} 6 एससीसी 352 प्रतिष्ठित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 6356/2000

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 23.06.2020 जो कि मुकदमा संख्या एम.जे.सी 1739 वर्ष 1999 में पारित किया गया।

अपीलकर्ता की ओर से बी.बी. सिंह।

प्रतिवादी की ओर से राजू रामचन्द्रन, जाइकी अहमद खान और इरशाद अहमद।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

अरिजीत पसायत, जे.:

बिहार राज्य उस एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील में है जिसने यह माना कि न्यायालय के आदेश का उल्लघंन हुआ था। बिना यह बताये कि इस तरह के उल्लघंन का परिणाम क्या था, उसने उस आदेश पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जिसे कथित तौर पर उस न्यायालय निर्देश के अनुपालन में पारित किया गया था। अपीलकर्ता राज्य के विद्वान वकील के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश का कोई उल्लघंन नहीं हुआ और इस प्रकार दर्ज निष्कर्ष और पुनर्विचार का निर्देश कानून में पोषणीय नहीं है।

इसके विपरीत प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता जो अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदक थे, ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना उचित था कि न्यायालय के आदेश का उल्लघंन हुआ है लेकिन ऐसा कहने के बाद पुर्नविचार के लिए निर्देश नही देना चाहिए था और दूसरी ओर अवमाननाकर्ता को दिण्डत करना चाहिए था। अवमानना के लिए आवेदन पर विचार करते समय

न्यायालय वास्तव में इस सवाल से चिंतित रहता है कि क्या पहले के फैंसले, जिन्हे अन्तिम रूप मिल चुका है, का अनुपालन किया गया था या नहीं। किसी न्यायालय के लिए यह अनुमति नही होगी कि वह पहले के फैंसले की सत्यता की जांच करे, जिस पर सवाल नही उठाया गया था और पहले के फैंसले मे जो निर्णय लिया गया था उससे अलग दृष्टिकोंण अपनाये। के. जी. डेरासारी और अन्य बनाम भारत संघ {2001} 10 एससीसी 496 में भी कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण देखने को मिला अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय मुख्य रूप से उस पक्ष के अपमानजनक आचरण के सवाल से चिन्तित है जिस पर निर्णय मे दिये गये निर्देशों का पालन करने में चूक करने का आरोप है। यदि आदेश मे कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं थी तो यह सम्बन्धित पक्ष पर निर्भर करता है कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाये, यदि उसके अनुसार यह कानूनी रूप से तर्कसंगत नही है।

इस तरह के प्रश्न को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाना आवश्यक है। अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय मूल कार्यवाही पर निर्णय लेने की शक्ति उस तरीके से नहीं ले सकता है जिस पर निर्णय या आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा नहीं निपटा जाता है। यद्यपि मजबूत निर्भरता रखी गई थी। नियाज मोहम्मद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य {1994} 6 एससीसी 352 में तीन

त्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमने पाया कि इसका वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई लागू नही है। ऐसे में आदेश का पालन करना असंभव होने पर सवाल खडा हो गया यदि राज्य का यही रूख था तो कम से कम वह उच्च न्यायालय के समक्ष फैसले कि शुद्धता पर सवाल उठा सकता था राज्य इस न्यायालय के समक्ष बिल्कुल विपरीत खडा है एक तो यह कि कुछ भी विशेष करने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं था और दूसरा यह कि जो करना आवश्यक था वह किया जा चुका है यदि जो किया जाना था वह कर दिया गया है तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आदेशों को पूरा करना असंभव था किसी भी घटना में उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है कि पहले दिये गये निर्देश का पालना करना असंभव था या दिये गये निर्देश का अनुपालन किया गया है।

निर्देश को क्रियान्वित करने की असंभावना के प्रश्न पर टी.आर. धनन्जय बनाम जे. वासुदेव {1995} 5 एससीसी 619 में व्यक्त विचारो पर ध्यान देने की की आवश्यकता है यह माना गया है कि जब दावे का परस्पर निर्णय हो चुका है और अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है तो यह प्रतिवादी के लिए खुला नही है कि किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को टालने के लिए वह आदेशों के पीछे जाये और परिणाम को गोल करने के

लिए नियमों पर मण्डराते हुए कानूनी बहाने को वैद्य बनाने के लिए उसके प्रभाव को कम कर दे।

मोहम्मद इकबाल खाण्डे बनाम अब्दुल मजीद राथर ए आई आर {1994} एससी 2252 में यह माना गया था कि यदि कोई पक्ष आदेश से व्यथित है तो उसे अपीलिय कार्यवाही शुरू करने के लिए त्वरित कदम उठाना चाहिए और आदेश की अनदेखी नही कर सकता और कठिनाईयों के बारे मे दलील नहीं दे सकता जब अवमानना कार्यवाही शुरू हो जाती है।

यदि कोई सम्बन्धित पक्ष उस आदेश से व्यथित है जो उसकी राय मे गलत या नियमों के विरूद्ध है या उसका कार्यान्वयन ना तो व्यवहारिक है और ना ही संभव है तो उसे हमेशा या तो उस न्यायालय से सम्पर्क करना चाहिए जिसने आदेश पारित किया है या अपीलिय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आहवान करना चाहिए। अवमानना कार्यवाही मे आदेश के सही या गलत होने का आग्रह नही किया जा सकता। सही हो या गलत उस आदेश का पालन करना ही होगा। न्यायालय के आदेश का उल्लघंन करने पर यह अपराध होगा।

अवमानना के लिए उत्तरदायी पक्ष। अवमानना के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय उस आदेश से परे नहीं बढ सकता जिसका अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है दूसरे शब्दों में यह नहीं कह सकता कि क्या नहीं किया जाना चाहिए था या क्या किया जाना चाहिए था। यह आदेश से परे नहीं बढ सकता यह आदेश की सत्यता या अन्यथा का परीक्षण नहीं कर सकता या अतिरिक्त निर्देश नहीं दे सकता या किसी निर्देश को हटा नहीं सकता वह अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान समीक्षा क्षेत्राधिकार का उपयोग करेगा। वहीं अस्वीकार और अक्षम्य होगा।

किसी दिये गये मामले मे भले ही अन्ततः अन्तरिम आदेश रद्द कर दिया हो या किसी पक्ष को मुख्य कार्यवाही मे राहत नही दी गई हो दूसरा पक्ष इससे न्यायालय द्वारा पारित किसी भी अन्तरिम आदेश की अवज्ञा के आधार के रूप मे नहीं ले सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि न्यायालय के आदेश का उल्लघंन हुआ है न्यायालय को इस मुद्दे पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए था कि इसके परिणाम स्वरूप आगे क्या किया गया। इसके बजाय यह अपने द्वारा व्यक्त विचारो कि दिशा में पुर्नविचारों के लिए और निर्देश देने लगा वह भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है कुछ मामलो में न्यायालय अवमाननाकर्ताओं को अवमानना का परिशोधन करने का अवसर दे सकता है। यह उस तरह का मामला नही है। वास्तव में विद्वान एकल न्यायाधीश ने योग्यता के आधार पर माना है कि डी.जी. बोर्ड का निर्णय उचित नही था। और इसी लिए मामले का पुनर्विचार के लिए भेज दिया। मामले के उपरोक्त परिप्रेक्ष्य मे उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर

दिया गया है। और मामले को नये सिरे से विचार के लिए भेजा गया है। यह नऐ सिरे से कानून के अनुसार उचित परिप्रेक्ष्य मे आवेदन से निपटेगा। हम यह स्पष्ट करते है कि हमने अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन की स्वीकार्यता या अन्यथा के सम्बन्ध मे कोई राय व्यक्त नहीं की है।

लागत के सम्बन्ध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील आन्शिक रूप से स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय प्रकाश सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।